अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या 125/2011

दशरथ यादव एवं अन्य — अपीलार्थीगण

वनाम

भुवनेश्वर ठाकुर एवं अन्य — रेस्पोण्डेन्ट्स

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील वाद श्री दशरथ पासवान पेसर स्व0 गोविन्द पासवान एवं मातवर पासवान ,गरीब पासवान, अमीर पासवान तीनों पे0 स्व0 राजो पासवान, चारो ग्राम – डुमरैल वार्ड संख्या 34 थाना वो जिला– सहरसा महेन्द्र पासवान पेसर स्व0 ठीछर पासवान साकिन अगुवानपुर थाना वो जिला– सहरसा द्वारा भूमि विवाद वाद संख्या 43/2011 भुवनेश्वर ठाकुर बनाम दशरथ पासवान वगैरह में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है।

अपीलार्थी का अपील आवेदन में कथन यह है कि उपरोक्त आदेशानुसार उप–समाहर्त्ता भूमि सुधार, सहरसा ने मौजा डुमरैल थाना नं० 186 तौजी नं० 3524 खाता पुराना–79 खाता नं०– 180 खेसरा पुराना–186 खेसरा नया–356 रकवा 31 डी० भूमि पर विपक्षी गण का अधिकार घोषित किया गया है इस निश्वत खाता इन्द्राज में सुधार किया गया है।

अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उप समाहर्त्ता द्वारा अपीलार्थी के कागजातों का ठीक ढ़ंग से अवलोकन किये बिना ही उपरोक्त आदेश पारित किया गया हैं एवं निम्न न्यायालय में विपक्षी का भी यह वाद था कि उपरोक्त जमीन का पुराना खतियान चुआ वल्द गोपाल थे जो दुसाध जाति

के है। गोपाल पासवान का वंशवृक्ष निम्नरूपेण है:–

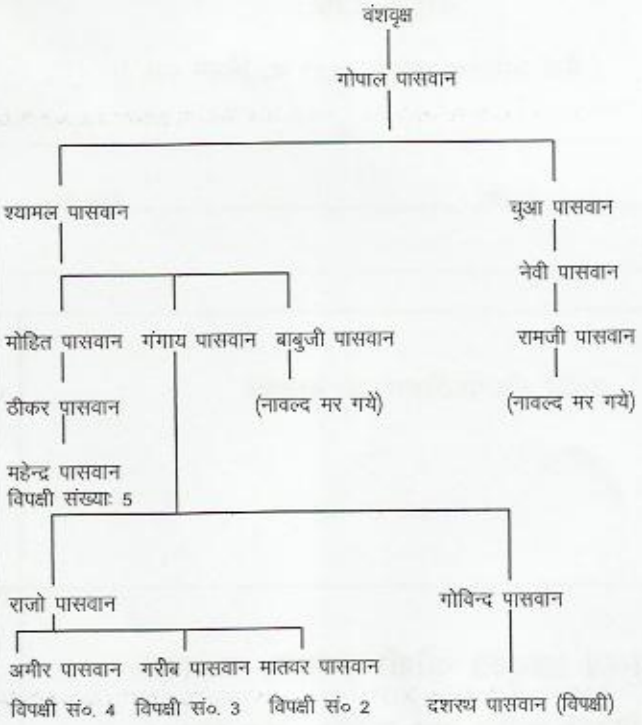

विपक्षी का यह कथन कि रामजी दास जब नावल्द मर गये तो जमींनदार अतुर झा का उस जमीन पर कब्जा हुआ सरासर झुठ एवं मनगढन्त है जबकि वास्तविकता यह कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अगर चुआ पासवान के वंश में कोई नहीं है तो उनके भाई श्यामल पासवान के उत्तराधिकारी ही उस संपत्ति का हकदार होगें। रिविजनल सर्वे में भी चुआ पासवान के पोते रामजी दास के नाम से खतियान खुला। अपीलार्थी रामजी पासवान के चचेरे भाई के लड़के एवं पोते हैं । सर्वे इन्ट्री के समय भी सर्वे के पदाधिकारीगण ने अपीलार्थी का ही उस जमीन पर दखल कब्जा पाया। उपरोक्त जमीन का जमाबंदी अभी भी रामजी दास के नाम से चल रहा है। जमीन्दारी उन्मुलन के समय भी जमीन का रिटर्न शेष भेल्युशन रिटर्न चुआ पासवान वल्द गोपाल के नाम से है।

अपीलार्थी का आगे यह कथन है कि अपीलार्थी का सदा से उस जमीन पर दखल कब्जा है एवं अपीलार्थी इस जमीन पर जोत आबाद करते आ रहे हैं परन्तु विपक्षी अपीलार्थी को लाठी एवं पैसे के बल पर उक्त जमीन से हटाना चाहते हैं। अपीलार्थी के पूर्वज के नाम से जो नया खतियान बना है, अब फाइनल हो चुका है उसके खिलाफ विपक्षीगण आज तक सिविल कोर्ट में कोई वाद दायर नहीं किये हैं और न ही सर्वे के किसी प्रक्रिया में कोई प्रतिवाद दाखिल किया है। भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा बिना सर्वे की कार्यवाही के रेकार्ड का अवलोकन किये तथा बिना अपीलार्थी के वंशवृक्ष का सत्यापन किए विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया है, जब जमीन का रिटर्न अपीलार्थी के वंशज के नाम से है तो उस जमीन का बंदोबस्ती का

प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रतिवादी कालेश्वर पासवान एवं दिनेश पासवान की ओर से दाखिल लिखित जवाब में यह कथन किया गया है कि: –

यह जमीन मौजा डुमरैल थाना नं०– 186 रकवा –31 डीसमल यानि 6 कट्ठा 02 धुर व तौजी नं०–3524, खाता 78 खेसरा नं०–356/186 अ है जो विवादी जमीन कहा जाता है। यह कि उक्त खेसरा की जमीन चुआ पासवान वल्द गोपाल पासवान कौम दुसाध के नाम से रिर्टन दाखिल किया गया है उक्त जमीन का पूर्व जमींदार कमल ना० झा थे। सिरिस्ते रिसेस भेल्यूएन रिर्टन 1941–42 में जमींदार द्वारा दाखिल किया गया था। हाल सर्वे रामजी दास पिता नेबी दास कौम दुसाध के नाम से खुला है जो नोट फाईनल है, रामजी दास की मृत्यु हो चुकी है वो ना औलाद है इसलिए यह जमीन वंशवृक्ष के मुताबिक उसी खानदान का होता है, इस खानदान में जीवित झोकसी देवी पति–चुल्हाय पासवान का लड़का कालेश्वर पासवान जीवित हैं, जो अपील वाद संख्याः 125/11 में श्रीमान के न्यायालय में इन्टरभेनर बना है। तैरिज खतियान के मुताबिक वंशवृक्ष स्पष्ट है जो न्यायालय में फोटो स्टेट दाखिल किया गया है, बल्कि लिस्ट के मुताबिक सारा कागजात सबूत दाखिल किया गया है जो अभिलेख में है। अपील कर्त्ता संख्याः 1 से लेकर 5 तक इस वंश से अलग हैं और उक्त जमीन का पूर्व में अलग खतियान बना है।

रेस्पोण्डेन्ट्स का यह भी कथन है कि मौजा–डुमरैल थाना नं0–186 खेसरा नया–156 रकवा– 31 डी0 जमीन विवाद में है। खाता पुराना–78 खेसरा पुराना–186 चुआ वल्द गोपाल के नाम से हासिल रहता आया वो चुआ के वंशज में कोई नहीं है नावल्द मर गये जिसका वंशा बृक्ष अपील के पारा –5 में अंकित है। इनका भी कथन है कि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत अगर चुआ पासवान के वंश में कोई नहीं है तो उनके भाई श्याम लाल पासवान के उत्तराधिकारी ही चुआ पासवान के जगह जमीन वो दिगर सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होगा। न्यायालय में विवादी भूमि के निश्वत खाताधारी चुआ वल्द गोपाल के भाई श्याम लाल के औलाद हैं वो खाताधारी के औलाद रामजी पासवान नावल्द मर गये थे इसलिए खाताधारी खाता संख्या–78 के उत्तराधिकारी हैं।

आगे उनका यह भी कथन है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा जमाबन्दी कायम अभिलेख संख्या 25/93–94 में अपीलार्थी को सक्षम व्यवहार न्यायालय जाने की सलाह दिया गया। विपक्षीगण के पिता स्व0 सौखी ठाकुर के नाम से बंदोबस्ती द्वारा हासिल रहता आया वो विपक्षीगण के पिता स्व0 सौखी ठाकुर ने मालिक जमीन्दार को उचित नजराना अदाय कर विवादी भूमि बंदोबस्त लिये वो वाद बन्दोबस्ती के मालिक जमीन्दार ने विपक्षीगण के पिता के नाम परमानगी दिये वो मालगुजारी लेकर विपक्षीगण

के पिता के नाम से जमीन्दारी रसीद भी दिये वो रोज परमानगी से मालिक जमीन्दार ने विपक्षीगण के पिता को दखल कब्जा दिला दिये तथा रोज बंदोबस्ती विपक्षीगण के पिता विवादी भूमि पर हकदार वो दखलकार रहते आये वो वफात पिता के अब विपक्षीगण उक्त विवादी एराजी पर हकदार वो दखलकार है तथा बिहार सरकार को वअदाय गालगुजारी रसीद रेन्टबिल हासिल करते चले आ रहे हैं।

आगे रेस्पोण्डेन्ट्स का यह भी कथन है कि विपक्षीगण के द्वारा विवादी भूमि के निश्वत लगान निर्धारण का मुकदमा न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा के यहॉ चला वो मोकदमा भुवनेश्वर ठाकुर वोगैरह ने जमाबन्दी कायम करने के संबंध में विवादी भूमि के निश्वत दाखिल किये थे जिस मोकदमा में विवादी भूमि का स्थल जॉच हल्का कर्मचारी तथा सी0 आई द्वारा कराया गया वो आपत्ति दर्ज करने हेतु सूचना निर्गत किया गया वो किसी व्यक्ति ने जब कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया तब सिर्फ गरीब पासवान जो अपीलार्थी है ने उक्त आपत्ति पर अपना हस्ताक्षर किया लेकिन कोई उसका विरोध नहीं किया वो न कोई जबाब ही दाखिल किया है। उक्त स्थल जॉच प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किया गया वो माननीय न्यायालय द्वारा उक्त विविध वाद संख्या 17/90–91 में हम विपक्षीगण का हकियत वो दखल कब्जा देखकर वो पाकर लगान निर्धारण का आदेश पारित किया गया जिस आदेश के खिलाफ उक्त वाद के अपीलार्थी ने कहीं कोई अपील या रिभिजन समय पर दायर नहीं किया है। अपीलार्थी ने पुनः न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के आदेश के खिलाफ जमाबन्दी कायम अभिलेख संख्या 23/93–94 दायर किया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उनके दावा को खारिज कर दिया गया वो पूर्व से पारित आदेश के आधार पर हम विपक्षी का जमाबन्दी नं 603/504 चल रहा है तथा हम विपक्षी बिहार सरकार को मालगुजारी अदाय कर रसीद रेन्टबिल हासिल करते आ रहे हैं।

रेस्पोण्डेन्ट्स का आगे यह भी कथन है कि भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता ने विविध वाद संख्याः– 70/1990–91 में दिनांक 14.06.89 को लगान निर्धारण का वो जमाबन्दी कायम करने का आदेश दिये तदनुसार अंचल अधिकारी ने इसके अनुपालन में दिनांक 01.11.90 को शुद्धि पत्र निर्गत कर जमाबन्दी कायम किया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी किसी न्यायालय में अपील या रिभिजन दायर कर उक्त आदेश को चुनौती नहीं दिये।

रेस्पोण्डेन्ट्स द्वारा आगे यह कहा गया है कि अपीलार्थी द्वारा जमींनदार कमल नारायण झा के द्वारा जमीन्दारी रसीद का उल्लेख किये हैं लेकिन विवादी भूमि की खाता उक्त रसीद पर नहीं है।

उभय पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात, इन्भेनर एवं विपक्षीगण द्वारा दाखिल लिखित बहस/जबाब के परिशीलनोपरान्त यह पाया कि निम्न न्यायालय द्वारा मामले की विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इसमें

किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

28/9/2013

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

28/9/2013

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा